बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनाः-

राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य से बाहर अथवा विदेशों में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रवासी मजदूरों के दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु एवं दुर्घटना के फलस्वरूप आंशिक अपंगता एवं स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में अनुदान देने का प्रावधान है।

- योजना के अन्तर्गत 18 से 65 वर्ष आयुवर्ग के असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रवासी श्रमिक शामिल हैं।
- योजना के अन्तर्गत ट्रेन या सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शाघात, साँप काटना, पानी में डुबना, आग, वृक्ष अथवा भवन से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार, आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण आदि से हुई दुर्घटना को शामिल किया गया है। सरकार द्वारा घोषित महामारी में मृत प्रवासी श्रमिक को भी इस योजना से आच्छादित करने का प्रावधान किया गया है।

अनुदान का प्रकारः-

दुर्घटना मृत्यु की स्थिति मेंः-
₹ 100000/- एक लाख मृतक के आश्रित को।

स्थायी अपंगता की स्थिति मेंः-
₹ 75000/- (पचहत्तर हजार)

आंशिक अपंगता की स्थिति मेंः-
₹ 37500/-(सैंतीस हजार पांच सौ)

(सभी अनुदान राशि का हस्तारंण लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है)

प्रक्रियाः- योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी प्रखंड, अंचल के लोक सेवा केन्द्रों पर अथवा ऑनलाईन माध्यम से https://serviceonline.bihar.gov.in पर वांछित अभिलेखों के साथ आवेदन समर्पित कर सकेंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों को कार्यालय में आने जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु लोक सेवाओं के अधिकार के अन्तर्गत आवेदन दें।